widely which will give an impression that we, as Members, have no freedom of expression

MR SPEAKER I will not allow this because I have already made my observations I have given my ruling and there is no change in it

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA: That will bring down this House in the estimation of the people

MR SPEAKER I the Press publish these things, how am I concerned here After all the Parties have to function Your party, their party and every party has to function They have the right to issue a mandate They have the right to issue a whip I am, therefore, not accepting this position I have already given my ruling on it I am not accepting it

श्री मधु लिमये (बाका) मै 20 मिनट से खड़ा हू, मै भी पोइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हू, आप मुझे देख नही रहे हं रिकग-नाइज नही कर रहे है। .

MR SPEAKER The next item is in your name So, I thought that you were standing on that

श्री मधु लिमये मै व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हू। अध्यक्ष महोदय, सदस्यों के दो प्रकार के काम होते हैं। एक सदन की सेवा से सम्बन्धित है, और दूसरा कार्य सदन के बाहर का है। उस के बारे में किसी के सरक्षण की जरूरत नही है। लेकिन सदन की सेवा करते हुए यदि कोई सदस्य सवाल पूछेंगे, सप्लीमेंटरीज पूछेगे, और उन्ही को ले कर अगर किसी सदस्य को धमकाया जायेगा, उसे इंटिमिडेट करने का प्रयास किया जाएगा, जो अध्यक्ष की अनुमति से सप्लीमेंट्रीज पूछे गये है उन के बारे मे यदि कोई इंटिमिडेट करने का प्रयास करेगा तो क्या यह सदन की मानहानि का प्रश्न नही होगा ?

अध्यक्ष महोदय जिस मेम्बर को इंटिमिडेट किया है वह मेरे पास आ सकते है।

श्री ज्योतिर्मय बसु यह हाउस का सवाल है।

अध्यक्ष महोदय: इस मे हाउस का कोई प्रश्न नही है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी: आप का यह कहना कि जो मेम्बर इस से जुड़ा हुआ है वह आप के पास आ कर कहे यह बात तो ठीक है। लेकिन, अगर ऐसी स्थिति है कि वह मेम्बर नही आ सकता . . .

अध्यक्ष महोदय नही आ सकता तो मै क्या करू। मुझ को तो उसस ही पूछना है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी: अगर कोई सदस्य पकड लिया जाय और पुलिस उसे न आने दे तो क्या उस का मामला हम नही उठा सकते है ?

(व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु प्रेसीडेंट के इलेक्शन को इस खबर के छपने की वजह से चुनौती दी जायगी, इलेक्शन पेटीशन फाइल होगी।

---

12 58 hrs

STATEMENT BY MEMBER *RE* OWNERSHIP OF LAND BELOW THE SEA WITHIN TERRITORIAL WATERS

श्री मधु लिमये (बाका) अध्यक्ष महोदय, माननीय एच० आर० गोखले ने समुद्र के नीचे की भूमि की मिल्कियत के बारे मे 2 मई, 1974 को जो बयान दिया उस मे जान बूझ कर गलत जानकारी दी है। उन्होने मैंने उठाये हुए सवैधानिक मामलो पर सदन को न केवल . . . . . .

अध्यक्ष महोदय: आप का स्टेटमेंट 4 सफ़े का है ऐसे ही रख दीजिए टेबिल पर।

श्री मधु लिमये : यह आर्डर पेपर पर है। क वाक्य नहीं हुआ, आप ने घंटी बजा दी। इसी तरह आप सदन चलाते है। ?

MR. SPEAKER: ऐसे ही चलेगा। We have been following this practice; you can lay it on the Table. It is a long statement.

SHRI MADHU LIMAYE: You have admitted that notice.

MR. SPEAKER: When there is a long statement Members normally accept my suggestion that it should be laid on the Table. Ministers accept it. Members accept it.

SHRI MADHU LIMAYE: I want to read it. I have a right to read it.

MR. SPEAKER: Order please. You are welcome to read it. You have not accepted my suggestion. This is a statement going to four pages and it is much better if you place it on the Table of the House.

श्री मधु लिमये : आप को रोकने का कोई अधिकार नही है। मैं आर्डर पेपर पर बोल रहा हू। मत्री लोग जब गलत बयानी करते है तो मैं क्या करूं।

अध्यक्ष महोदय : इस के बारे मे मैंने आप को कई दफ़ा इस हाउस में मौका दिया है।

13 hrs.

श्री मधु लिमये : मैं नियमों के अनुसार चलता हूं यही मेरा दोष है।

अध्यक्ष महोदय : नियम दूसरो के बारे में ही चलता है। जब वे पढ़ना चाहते हैं तो आप कहते हैं कि टेबल पर रखवाइये, वक्त बहुत चला जाएगा। जब अपनी बारी होती है तो आप ऐसे करते हैं।

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): Within a few minutes he will complete his statement.

MR. SPEAKER: This is a long statement. Kindly listen to me. How can the Speaker function? Your are doing it too much.

श्री मधु लिमये : श्री एच. आर गोखले ने समुद्र के नीचे की भूमि की मिलकियत के बारे में दो मई, 1974 को जो बयान दिया उस में जान-बूझ कर गलत जानकारी दी है। ऐसा करके उन्होंने मेरे द्वारा उठाए गये संवैधानिक मामलों पर सदन को न केवल गलतफहमी में रखा है बल्कि इस महत्वपूर्ण मामले पर दो गलत वक्तव्य दिये हैं जिस में केन्द्रीय सरकार के अधिकारो का प्रश्न उठता है।

श्री गोखले ने कहा है कि फोरशोर जमीन पर राज्य सरकार का अधिकार महाराष्ट्र भूमि राजस्व कोड 1966 की धारा 294 और 295 पर आधारित है यह कोड बम्बई शहर भूमि राजस्व कानून 1876 को बदल कर बनाया गया था। इस धारा के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि हाई वाटर मार्क का मतलब बसंत लहरो की अधिकतम सीमा है। इसे भारतीय संविधान की धारा 297 और केन्द्रीय सूची की 27वीं एन्ट्री के साथ पढ़ना चाहिये।

यह ठीक है कि फोरशोर का मतलब हाई वाटरमार्क और लो वाटर मार्क के बीच वाली जमीन है। केन्द्रीय सूची की एंट्री 27 के अनुसार बम्बई के बड़े बन्दरगाह में फोरशोर जमीन की मिल्कियत का प्रबन्ध कोर्ट ट्रस्ट एक्ट के तहत देखा जाता है। निस्संदेह इस राष्ट्र के लिये लो वाटर मार्क की मूलभूत रेखा अनुकूल है लेकिन इसको मतलब नहीं कि फोरशोर जमीन भी बड़े बन्दरगाह, में केन्द्र के नहीं राज्य के अधिकार में होंगी। भारतीय बन्दरगाह,

कानून की धारा 4 (3) और (4) में शोर की व्याख्या बंदरगाह के संदर्भ मे हाई वाटर मार्क की गई है। मतलब यह कि साल के किसी भी मौसम में बसंत लहरों की अधिकतम सीमा। भारतीय बंदरगाह कानून में सरकार को यह अधिकार है कि वह नोटिफिकेशन के द्वारा यह प्रावधान किसी भी बंदरगाह पर लागू कर सकती है।

जहां तक बम्बई बंदरगाह का प्रश्न है वहां एक विशेष कानून-बम्बई पोर्ट ट्रस्ट कानून लागू है। कानून का प्रीएम्बल इस प्रकार है :

"An Act to consolidate the immoveable and other property vesting in the Trustees of the Port of Bombay and certain other property on, or connected with, the foreshore of the Island of Bombay into one estate, and to vest the control and management of the same in one Public Trust; and for other purposes."

धारा 3 (2) में बम्बई बंदरगाह की सीमाओं की व्याख्या की गई है धारा 3(6) मे कहा गया है जमीन का मतलब हाई वाटर मार्क तक की समुद्रतलीय जमीन है। धारा 28 में पोर्ट ट्रस्ट सम्पत्ति की व्याख्या इस प्रकार की गई है :

"The property vested by this Section in the Board shall be deemed to include the estate, right, title, and interest of the Government in the rock, stones, shingle, gravel, sand or *soil within the port....*"

धारा 68 (5) में पोर्ट ट्रस्ट को इस कानून के अन्दर निर्माण कार्य करने का अधिकार दिया गया है। इस से जमीन रिक्लेम करने, खुदाई करने, फोरशोर की ऊंचाई बढ़ाने या बांध बनाने का अधिकार बोर्ड को है।

बैक बे रिक्लेमेशन परियोजना का क्षेत्र बम्बई बंदरगाह की सीमाओं के अन्दर है जिसे मलबार प्वाईंट से पश्चिम में फ्लोटिंग लाइट हाउस के बीच रेखा खींच कर स्पष्ट किया गया है।

एस्टीमेट्स कमेटी (तीसरी लोक सभा) की 96वीं रिपोर्ट में कहा गया है कि बम्बई पोर्ट ट्रस्ट के पास काफी जमीन है जो समय समय पर व्यापक रिक्लेमेशन के कारण प्राप्त हुई है। यह जमीन लगभग 1900 एकड़ है तथा गोदी और बंकर छोड़ कर लगभग 1350 एकड़ है। रिपोर्ट में लों वाटर मार्क के आगे वाली, तथा हाई वाटर मार्क और लो वाटर मार्क के बीच वाली जमीन में कोई फर्क नहीं किया गया है।

अब प्रश्न यह है कि यदि महाराष्ट्र भूमि राजस्व कोड और केन्द्रीय कानून में कोई संघर्ष है जैसे बम्बई पोर्ट ट्रस्ट और भारतीय बंदरगाह कानून, तो फोरशोर जमीन की मिलकियत के बारे में कौन सा कानून श्रेष्ट माना जायगा।

जहां तक समुद्र की ओर लो वाटर मार्क के आगे वाली जमीन का प्रश्न है स्वंय कानून मंत्री ने स्वीकार किया है कि राज्यो को इस जमीन की मिलकियत का कोई अधिकार नहीं है। टैरिटोरियल वाटर्ज की सीमा तक समुद्र तल की जमीन केन्द्र की है।

जहां तक बम्बई रिक्लेमेशन परियोजना का प्रश्न है, यह समझा गया था कि इस में फोरशोर जमीन हाई वाटर मार्क और लों वाटर मार्क के बीच वाली शामिल होगी मगर वास्तव में परियोजना ने लो वाटर मार्क के आगे वाली जमीन पर आक्रमण किया है। यह जमीन रिक्लेमेशन के पूर्व हमेशा पानी में हुआ करती थी। ऐसी जमीन पर बनाए गये प्लाट महाराष्ट्र सरकार बेच चुकी है। यह गलत प्रमाण पत्र दे कर कि पूरी रिक्लेमेशन परियोजना केवल फोरशोर जमीन तक सीमित है। श्री गोखले ने जानबूझ कर सदन को गलत जानकारी दी है। उन्हें ध्यान में रखना चाहिये था कि केन्द्रीय सरकार मे कैबिनेट मंत्री के नाते उन्हें केन्द्र के हितों की रक्षा करनी चाहिये। इसके स्थान पर वह गलत वक्तव्यों के द्वारा सदन को गुमराह कर रहे हैं।

परियोजना के अलावा फोरशोर पर काफी जमीन है जो बम्बई बंदरगाह की सीमाओं

में है । इस पर राज्य सरकार आक्रमण कर रहा है। अन्य बडे बदरगाहो में भी ऐसी जमीनो पर आक्रमण हुआ होगा।

इसलिये में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि श्री गोखले ने निम्नलिखित गलत बयान दिये है :

(1) महाराष्ट्र—सरकार की बैक बे रिक्लेमेशन परियोजना केवल हाई वाटर मार्क और लो वाटर मार्क के बीच वाली जमीन तक सीमित है। वास्तव में रिक्लेमेशन परियोजना से लो वाटर मार्क के आगे वाली सादा पानी के नीचे रहने वाली जमीन पर भी आक्रमण हो रहा है । 1974 के इंडियन टाइड टेबल्स मे स्पष्ट है कि बैक बे रिक्लेमेशन परियोजना का कुछ क्षेत्र हमेशा चाहे छोटी लहरें हों या बड़ी, एब हो या टाइड पानी में रहना है । इसके अलावा इस क्षेत्र का और एक हिस्सा छोटी लहरें होने पर भी अधिकांश समय पानी में रहता है औसतन 730 छोटी लहरो में मे 680 लहरो के दौरान । श्री गोखले को गलत जानकारी देने के कारण न केवल सदन में माफी मागनी चाहिए बल्कि लो वाटर मार्क के आगे वाली जमीन जिस पर राज्य सरकार ने कब्जा कर रखा है, उचित जुर्माना लगा कर वापिस लेने की व्यवस्था भी करनी चाहिए ।

(2) भारतीय बंदरगाह कानून और बम्बई बंदरगाह ट्रस्ट कानून के प्रावधानों को देखते हुए जो वास्तव में केन्द्रीय कानून हैं, महाराष्ट्र भूमि राजस्व कानून गलत साबित होते है । श्री गोखले को चाहिये कि वे सभी बंदरगाहों में सम्बन्धित राज्यों ने हाई वाटर मार्क और लो वाटर मार्क के बीच वाली जिस जमीन को रिक्लेम किया है उसे उचित दंड लगा कर वापिस ले ले । समुद्र के तट की भूमि की रक्षा का कानून नहीं बनेगा तो सारा तटीय इलाका बरबाद होगा और आने वाली पीढ़ियां इस पार्लियामेंट को दोषी ठहराएंगी ।

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): In his Notice dated the 8th May 1974, Shri Madhu Limaye, M.P. has alleged that I in my statement made in the House on the 2nd May 1974, in pursuance of his earlier notice under rule 377, dated the 7th March, 1974, made the following mis-statement:

"That the Maharashtra Government's Backbay Reclamation Project is confined only to the area between high water-mark and the low water-mark when as a matter of fact the reclamation encroaches on the under-sea land beyond the low water mark also."

In the notice dated the 7th March, 1974, the Member had raised the question of the constitutional authority of the Government of Maharashtra to reclaim land under the Backbay Reclamation Scheme in the context of the provisions of article 297 of the Constitution without drawing any distinction between the foreshore and the land underlying the territorial waters. In my earlier statement, the legal position as to the reclamation of the foreshore land by the Maharashtra Government under the scheme of reclamation formulated by them was explained and it was indicated that such reclamation of the foreshore did not contravene article 297 of the Constitution. No statement as alleged by the Member that the Maharashtra Government's Backbay Reclamation Scheme was confined only to the area between the high water mark and the low water mark was made by me. Accordingly, the allegation of the Member that I had made the aforesaid mis-statement is without any substance.

Shri Madhu Limaye has also alleged that I had sought to confuse the House on the constitutional points raised by him and he has contended that in view of the provisions of the Indian Ports Act and the Bombay Port Trust Act, the provisions of the Maharashtra Land Revenue Code

referred to in my earlier statement and other State Laws appertaining to the ports of Cochin, Madras and Calcutta are void.

There was no attempt or intention to confuse the House as alleged by the Member and the Constitutional position as understood by me was indicated in the House. However, a writ petition has since been filed in the Bombay High Court by Shri Piloo Modi and others wherein the Maharashtra Government's Reclamation Scheme has been challenged on several grounds. Among these are the ground that sections 294 and 295 of the Maharashtra Land Revenue Code are *ultra vires* and contrary to the provisions of the Bombay Port Trust Act, 1879. It has further been averred by the petitioners that large part of the area covered by the reclamation scheme is submerged in the water even at the low water-mark and vests in the Union, State of Maharashtra having no right to deal with the same. As the factual as well as the constitutional and legal aspects of the Backbay Reclamation Scheme have since become sub judice, it would not be proper to have a disscussion with respect thereto in the House.

Shri Madhu Limaye has also stated that apart from reclamation project in Bombay, there must have been encroachments on lands within the other major ports, *viz.*, Calcutta, Cochin and Madras. This matter concerns the Ministry of Shipping and Transport, which have administrative control over all the major ports.

13.13 hrs.

MATTER UNDER RULE 377

Reports incidents in catain Delhi University colleges on the eve of union elections

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSHI (Calcutta-South): I should like to inform you and also get a statement through you from the Ministry of Home Affairs. Almost all Members are aware that 9th August is a great day in the history of our freedom movement. The Youth Congress Organisation and the National Students Union propose to organise a rally on 9th August tomorrow. Delhi University Students Union elections are going to be held. Unfortunately today morning an incident took place. Brij Mohan Bhaiya, a candidate for the Delhi Students Union sponsored by the National Students Union and the Indian Youth Congress and Rangarajan Kumaramangalam son of the late Kumaramangalam went to the DAV college at 4.30 in the morning. For the last ten days they could not campaign there and paste a single poster. The Vidyarthi Parishad and RSS criminals attacked them when they went there.... (*Interrutions*). It can be enquired into by any department.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पायंट आफ आर्डर है। मेम्बर महोदय का कहना है कि वहां कोई मामला हुआ और कोई छुरेबाज़ी हुई, और उस में किस का हाथ है, वह नाम लेकर कह रहे हैं। आखिर मामला पुलिस में जायेगा और फिर अदालत में तय होगा। क्या इस सदन में इस तरह किसी संगठन पर आरोप लगाये जा सकते हैं ? विद्यार्थी परिषद् वहां चुनाव लड़ रही है। (व्यवधान) ये सुबह साढ़े चार बजे वहां क्या करने गये थे ?

SHRI PRIYA RANJAN DAS MUNSI: There were 10 armed people with lathis. completely drunk.

MR. SPEAKER: You have said in this motion, "Incident in Delhi University'.

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE: This is politically motivated.